कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

//संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक– 56 /तीन–16–1/2005 हरदा दिनांक 01 /06/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायिक जिला स्थापनाओं हेतु दिनांक 03.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किये जाने से इस न्यायिक जिला स्थापना के न्यायिक अधिकारीगण का पूर्व में कार्यालय विविध आदेश क्रमांक 50/तीन–16–1/2005 हरदा दिनांक 31.05.2024 के अनुसार स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में उक्त विविध आदेश के स्तम्भ क्रमांक 3 में **आंशिक संशोधन** करते हुए न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :–

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	कुल दिवस	मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक अधिकारी	प्रथम प्रभार	रिमार्क
1.	श्रीमति संगीता यादव, विशेष न्यायाधीश, हरदा म0प्र0	दि0 03.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 **01.06.2024 के कार्यालयीन समय पश्चात से 15.06.2024 के कार्यालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।**	कुल 12 दिवस	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) हरदा म0प्र0	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) हरदा म0प्र0	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान उनके न्यायालय के कार्य श्रीमति संगीता यादव, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी हरदा के द्वारा संपादित किया जावेगा।
2.	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) हरदा म0प्र0	विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपभोग हेतु प्रार्थी को अपने गृह नगर ग्वालियर जाना है। अतः दि0 18.06.2024 से दि0 28.06.2024 तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश, दि0 14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात् से दि0 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 11 दिवस	श्री राजेश कुमार यादव, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा म0प्र0	श्री राजेश कुमार यादव, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा म0प्र0	
3.	श्री राजेश कुमार यादव, प्रथम जिला एवं अपर सत्र	परिवार सहित नैनीताल, देहरादन एवं मथुरा वृंदावन जाना है। अतः दि0 03.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक	कुल 12 दिवस	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो	श्री रोहित सिंह, तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश,	

	न्यायाधीश, हरदा म0प्र0	ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 02, 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश, दि0 01.06.2024 के कार्यालय समय पश्चात् से दि0 18.06.2024 के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।		एक्ट) हरदा म0प्र0	(पॉक्सो एक्ट) हरदा म0प्र0	
4.	श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा म0प्र0	दि0 03.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 02, 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित दि0 01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात् से दि0 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 12 दिवस	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0 2. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0 2. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	
5.	श्री लवकेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खिरकिया जिला हरदा म0प्र0	दि0 18.06.2024 से दि0 28.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 14.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दि0 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक सार्वजनिक अवकाश सहित मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 11 दिवस	1. श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा म0प्र0	1. श्री प्रेम दीप शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, हरदा 2. श्रीमति चेतना रूसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	
6	श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	दि0 18.06.2024 से दि0 28.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दि0 14.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दि00 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 11 दिवस	1. श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा म0प्र0	1. श्री प्रेम दीप शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, हरदा 2. श्रीमति चेतना रूसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	
7.	श्रीमति चेतना रूसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	दि0 03.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 18.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। नोटः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक का आवेदन पत्र इस टीप के साथ अग्रेषित किया है कि पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेशानुसार कार्य कर अवकाश स्वीकृत किया जावे।	कुल 12 दिवस	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	1. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	
8.	श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	दि0 18.06.2024 से दि0 28.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, दि0 15.06.2024 को तृतीय शनिवार, 16.06.2024 को रविवार एवं दि0 17.06.2024 को ईद–उल–जुहा का सार्वजनिक अवकाश होने से दि0 15.06.2024 के न्यायालयीन समय	कुल 11 दिवस	1. श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा म0प्र0	1. श्रीमति चेतना रूसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0 2. श्री प्रेम दीप शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ	दि0 15.06.2024 के रिमांड ड्यूटी के पश्चात् अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

		पश्चात् से दि0 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। नोटः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक का आवेदन पत्र इस टीप के साथ अग्रेषित किया है कि पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेशानुसार कार्य कर अवकाश स्वीकृत किया जावे।			खंड, हरदा म0प्र0	
9.	श्री प्रेम दीप शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	दि0 03.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 16.06.2024 के रिमांड ड्यूटी के पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित। नोटः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक का आवेदन पत्र इस टीप के साथ अग्रेषित किया है कि पूर्व में रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेशानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित कर अवकाश स्वीकृत किया जावे।	कुल 12 दिवस	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	दि0 16—17.06. 2024 के रिमांड ड्यूटी हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
10.	श्रीमति नुपूर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टिमरनी जिला हरदा म0प्र0	दि0 18.06.2024 से दि0 28.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दि0 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश सहित दिनांक 14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 11 दिवस	1. श्री के0 के0 वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा	1.श्रीमति चेतना रूसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0 2. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	
11.	सुश्री काजल सिंह पटेल प्रथम व्यवहार कनिष्ठ खंड, हरदा के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा जिला हरदा म0प्र0	दि0 05.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, एवं दि0 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश के साथ, दि0 04.06.2024 के न्यायलयीन समय पश्चात् से दि0 18.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 10 दिवस	1. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	
12.	सुश्री सृष्टि साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, हरदा के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा जिला हरदा म0प्र0	दि0 05.06.2024 से दि0 14.06.2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, एवं दि0 15, 16 एवं 17.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश के साथ, दि0 04.06.2024 के न्यायलयीन समय पश्चात् से दि0 18.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	कुल 10 दिवस	1. श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा म0प्र0	1. श्री मोहित श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा म0प्र0	

न्यायिक मजिस्टेट निम्नलिखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे —

1. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

2ए न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सहमति के आधार पर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निष्पादित की जावेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार श्री प्रेम दीप शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा की दिनांक 16–17.06.2024 तक की (टीप) मुख्यालय अनुमति निरस्त की जाती है।

2बी दिनांक 15.06.2024 को श्री संजीव राहंगडाले रिमांड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

3. ग्रीष्मकालीन प्रभार व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगी।

4. ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में कोई भी मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है तब उस न्यायालय का कार्य जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के कमानुसार द्वारा संपादित किया जावेगा।

5. ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में यदि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण इस स्थापना से अन्यत्र हो जाता है, उस स्थिति में संबंधित न्यायिक अधिकारी की स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि निरस्त मानी जावेगी।

6. पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश काल में संबंधित स्टेनोग्राफर एवं साक्ष्य लेखक प्रतिलिपि अनुभाग एवं कार्यालय अनुभाग में कार्य करेंगे।

7. पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश काल में संबंधित सिविल रीडर अभिलेखागार अनुभाग में कार्य करेंगे।

8. पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश काल में संबंधित वाहन चालक (ड्रायवर) ग्रंथालय अनुभाग में कार्य करेंगे।

9. विलम्ब से प्रस्तुत ग्रीष्मावकाश स्वमेव निरस्त माने जावेंगे।

10. ग्रीष्मावकाश उपभोगोपरांत संबंधित उपस्थिति पत्र प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 635/तीन 16– 5/2005 हरदा दिनांक 01..06.2024

यथाआदेश–प्रतिलिपि :–

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

2. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, हरदा/खिरकिया/टिमरनी जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि, अभिलेखागार/ग्रंथालय/नजारत अनुभाग हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर तृतीय श्रेणी एवं वाहन चालक कर्मचारीगण को उपरोक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5. सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

6. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय हरदा की ओर माननीय महोदय के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

7. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदेश प्रति प्रेषित की जावे एवं आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

8. लेखापाल कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला-हरदा